प्रस्तुत किया तथा आधुनिक राज्य के विषय का प्रबल समर्थन किया। आधुनिक काल मे संविधानवाद की धारणा ने धार्मिक और सामन्ती सत्ता के उपर राजा की सत्ता की सराहना की तथा इंग्लैण्ड मे राजा की सत्ता पर नियंत्रण लगाने मे सफलता पाई। इंग्लैण्ड मे 1688 की गौरवपूर्ण क्रान्ती, ई 1776 मे अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा तथा 1789 की फ्रान्सीसी राज्य क्रान्ती इसके प्रमुख उदाहरण माने जा सकते है। अब ~~प्रजातंत्र~~ संविधान को प्रजातंत्र का समरुपी माना जाने लगा।

संयुक्त राज्य अमेरिका के महान संस्थापको ने 1787 मे अपने देश के लिए संविधान का निर्माण किया। इसने लिखित संविधान का दृष्टान्त स्थापित किया जिसकी विश्वव्यापी सराहना की गई। 1848 में स्विटजरलैण्ड, 1967 में कनाडा तथा 1871 मे जर्मनी मे लिखित संविधान लागू हुए। रूस मे लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविको की विजय ने एक नया आदर्श प्रस्तुत किया। 1924 मे लेनिन ने संविधान निर्माण मे एक नवीन संकल्पना समाजवाद की विशेषता को जोड दिया। दो विश्वयुद्धो के विनाशकारी प्रभावो ने संविधानवाद की धारणा में एक और महत्वपूर्ण विशेषता अन्तर्राष्ट्रीयतावाद को जोड दिया। 1946 में जापान के संविधान के अनुच्छेद 9 के अनुसार राष्ट्रीय नीति के रूप में युद्ध के त्याग की प्रतिबद्धता की घोषणा की गई। तथा इसलिए इसे शान्ती संविधान की संज्ञा दी गई। 1949 में जर्मन संघीय गणराज्य के संविधान के ~~अनु~~ अनुच्छेद 25 मे कहा गया कि राज्य अन्तर्राष्ट्रीय कानून का पालन करेगा तथा अनुच्छेद 26 मे कहा गया कि राज्य आक्रमण का मार्ग नही अपनायेगा। इसी प्रकार 1950 में निर्मित भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 अन्तर्राष्ट्रीय कानून तथा संधियो के दायित्व का पालन ~~करेगा~~ तथा अन्तर्राष्ट्रीय शान्ती और सुरक्षा को बढावा देने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय विवादो के शान्तीपूर्ण समाधान पर जोर देता है।

वर्तमान मे उदारीकरण और वैश्वीकरण की अवधारणा का उदय हुआ है और इसने पर्यावरण की सुरक्षा के मुद्दे को सर्वाधिक महत्वपूर्ण विषय बना दिया है। इसी के अनुरुप अब संविधान मे नये प्रावधानो को शामिल किया जाने लगा है। चीन ने 1982 मे विदेशी पूंजी के निवेश

Scanned with CamScanner

का प्रावधान लागू किया। 1996 के रूसी संघ के संविधान में नागरिकों के अधिकारों व स्वतंत्रताओं की लम्बी सूची दी गई था तथा अनुच्छेद 42 में कहा गया कि हर व्यक्ति को अच्छे पर्यावरण में रहने का अधिकार है। इसी प्रकार 1996 के दक्षिणा अफ्रीकी संविधान के अनुच्छेद 24 में भी कहा गया कि हर व्यक्ति को अच्छे पर्यावरण में रहने का मौलिक अधिकार है।

संविधानवाद का विकास

यह महत्वपूर्ण निष्कर्ष प्रस्तुत करता है कि संविधानवाद देश के मौलिक कानून के प्रति राज्य की प्रतिबद्धता का सूचक है। समय की गति के साथ राष्ट्रवाद, धर्मनिरपेक्षता तथा प्रजातंत्र जैसे लक्षणों को राज्य ने ग्रहण किया है तथा इन आदर्शों के प्रति उसमें समर्पण है। संविधानवाद ने अन्तर्राष्ट्रीयवाद के आदर्श को भी स्वीकार किया है। आधुनिक राज्य ने कल्याणकारी राज्य का स्वरूप ग्रहण कर लिया। धर्मों, भाषाओं, संस्कृतियों तथा जीवन शैली की विविधताओं से युक्त देशों में संघवाद को अपनाने पर बल दिया जा रहा है।

संविधान का उदारवादी दृष्टिकोण यह है कि देश की मौलिक विधि में कानून, अधिकार, न्याय, स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुता के आदर्शों को समाहित करने के लिये राज्य के अपने नियम तथा विनियम होना चाहिए। यदि कोई परिवर्तन होता है तो उसे शान्तिपूर्ण और अनुशासित ढंग से होना चाहिए ताकि राजनीतिक व्यवस्था को हिंसात्मक दबावों तथा तनावों का शिकार न होना पड़े। परन्तु संविधान का मार्क्सवादी दृष्टिकोण इससे भिन्न है। समाजवादी देश में संविधान अपने आप में साध्य नहीं होता, यह वैज्ञानिक समाजवाद की विचारधारा को लागू करने का साधन मात्र होता है। इन व्यवस्थाओं में संविधान को लागू करने का ध्येय शासन की शक्तियों को सीमित करना नहीं होता बल्कि उन्हें इतना विस्तारपूर्ण और विशाल बनाना होता है कि श्रमिकों के राज्य का लक्ष्य पूरा हो सके और एक नये प्रकार के राज्य का जन्म हो।

वर्तमान समय में संविधानवाद की अवधारणा के सम्मुख तीन चुनौतीपूर्ण समस्याएं हैं – सर्वाधिकारवाद, आतंकवाद का उदय, युद्ध की स्थितियों का उत्पन्न होना तथा लाखों की सामाजिक और आर्थिक कठिनाइयाँ। लेकिन इसके साथ ही यह आशा भी है कि प्रजातांत्रिक देशों की जनता इन समस्याओं की प्रकृति को समझेगी तथा उदारवादी संविधान के ढाँचे में उनके समाधान का प्रयास करेगी। इसके लिए यह जरूरी है कि प्रजातंत्र की व्यवस्था में लोगों के विश्वासों को सुदृढ़ किया जाय। स्वशासन अच्छे शासन का विकल्प नहीं हो सकता, चाहे वह कितना ही अच्छा हो। अन्त में यह कहा जा सकता है कि संविधानवाद की धारणा को लोगों की आवश्यकताओं तथा आकांक्षाओं एवं सामाजिक

अनुरूप बदलते रहना चाहिए। लोगों की नई आवश्यकताओं के संदर्भ में पुराने मूल्यों तथा व्यवस्थाओं को पुनर्निर्धारित किया जाना चाहिए।